रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 332] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 1997/श्रावण 31, 1919
No. 332] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 1997/SRAVANA 31, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1997

सं. 37/97-सेवा कर

सा०का०नि० 479 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1997 (1997 का 26) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 65 के खंड (41) के उप खंड (थ) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा के लागू होने की तारीख की नियुक्ति 1 सितम्बर, 1997 कर दी है।

[फा०सं०बी-43/10/97-टी०आर०यू०]

अतुल गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 1997

No. 37/97-SERVICE TAX

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Finance Act, 1997 (26 of 1997), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 1997, as the date on which the service tax on taxable service specified in sub-clause (q) of clause (41) of section 65 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) shall come into force.

[F. No. B. 43/10/97-TRU]

ATUL GUPTA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1997

सं०38/97 सेवा कर

सा०का०नि० 480 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम 1997 है।

(ii) ये 1 सितम्बर, 1997 से प्रवृत्त होगी।

2. सेवा कर नियम, 1994 में, नियम 2, उपनियम (1), खंड (ख) में उपखंड (xv) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(xvi) टूर प्रचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में, प्रत्येक टूर प्रचालक जो किसी ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल जारी करता है।"।

[फा० सं० बी-43/10/97-टी०आर०यू०]

अतुल गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पणी :—भारत के राजपत्र असाधारण में सेवा कर, 1994 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 2/94 सेवा कर, तारीख 28-9-94 (सा०का०नि० 546 (अ) तारीख 28-9-94 और का संशोधन अधिसूचना सं० 4/95 तारीख 28-6-95 सा०का० नि० 524 (अ), तारीख 28-6-95 अधिसूचना सं० 7/96 सेवा कर, तारीख 31-10-96 सं०का०नि० 506 (अ) तारीख 31-10-96 अधिसूचना सं० 8/96 सेवा कर तारीख 26-11-96, स०का०नि० 54(अ), तरीख 26-11-96, अधिसूचना सं०15/ 97 सेवा कर, तारीख 25-4-97 सां०का०नि० 229 (अ) तारीख 25-4-97, अधिसूचना सं० 18/97-सेवा कर, तारीख 6-6-97, सं०का०नि० 316, (अ) तारीख 6-6-97 अधिसूचना सं० 20/97 सेवा कर, तारीख 26-6-97 सा०का०नि० 346 (अ) तारीख 26-6-97 अधिसूचना सं० 24/97-सेवा कर, तारीख 2-7-97 सां०का०नि० 358 (अ) तारीख 2-7-97, अधिसूचना सं० 27/97-सेवा कर, तारीख 11-7-97, सा०का०नि० 386 (अ), तारीख 11-7-97, और अधिसूचना सं० 29/97-सेवा कर, तारीख 25-7-97 सा०का०नि० 417(अ), तारीख 25-7-97).

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 1997

No. 38/97-SERVICE TAX

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act,1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Seventh Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 1997.

2. In the Service Tax Rules, 1944 in rule 2, in sub-rule (1) in clause (d), after sub-clause (xv), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(xvi) in relation to services provided by a tour operator, every tour operator who raises the bill for services rendered to any person by such operator".

[F.No. B 43/10/97-TRU]

ATUL GUPTA, Under Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 2/94 Service Tax, dated 28-6-94 (G.S.R. 546(E), dated 28-6-1994) and were subsequently amended by notification No. 4/95 Service Tax, dated 28-6-95 (G.S.R. 524(E), dated 28-6-95, Notification No. 7/96-Service Tax, dated 31-10-96 (G.S.R. No. 506 (E) dated 31-10-96), notification No. 8/96-Service Tax, dated 26-11-96 (G.S.R.No. 541(E), dated 26-11-97), Notification No. 15/97-Service Tax, dated 25-4-97 (G.S.R. No. 229 (E), dated 25-4-97), Notification No. 18/97 Service Tax, dated

6-6-97 (G.S.R. 316(E), dated 6-6-97) notification No. 20/97-Service Tax, dated 26-6-97 (G.S.R. 346(E) ,dated 26-6-97), notification No. 24/97-Service Tax, dated 2-7-97 (G.S.R.358(E), dated 2-7-97), notification No. 27/97-Service Tax, dated 11-7-97 (G.S.R. 386(E), dated 11-7-97) and Notification No. 29/97-Service Tax, dated 25-7-97 (G.S.R. 417 (E), dated 25-7-97.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1997

सं. 39/97-सेवा कर

सा. का. नि. 481(अ):—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में है, किसी भी टूर प्रचालक द्वारा प्रदान की गयी कराधेय सेवा पर लागू सेवा कर से उतनी छूट देती है जो कि किसी टूर प्रचालक द्वारा किसी टूर के संदर्भ में प्रदान की गयी सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति से ली गयी सकल रकम के 40 प्रतिशत पर लागू सेवा कर, से अधिक है, जहां कि टूर प्रचालक किसी भी व्यक्ति को पैकेज टूर प्रदान करता है और इस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया बिल इस बात का प्रतीक है कि इसमें ऐसे टूर का प्रभार शामिल है ।

2. यह अधिसूचना दिनांक पहली सितम्बर, 1997 से प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "पैकेज टूर" का अर्थ ऐसे टूर से है जहां टूर प्रचालक द्वारा टूर करने वाले व्यक्ति के यातायात और उसके ठहरने की सुविधा का प्रबंध किया गया है ।

[फा. सं. बी 43/10/97-टी. आर. यू.]

अतुल गुप्ता, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi,the 22nd August, 1997

No. 39/97-SERVICE TAX

G. S. R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable service provided by a tour operator from so much of the service tax leviable on such operator, as is in excess of the amount of service tax calculated on forty per cent. of the gross amount charged from any person by such operator for the services provided in relation to a tour, where the tour operator provides a package tour to any person and the bill issued for this purpose indicates that it is inclusive of charges for such a tour.

2. This notification shall come into force on the 1st day of September, 1997.

Explanation.—For the purposes of this notification, the expression "package tour" means a tour in which the provision for transportation and accommodation for stay of the person undertaking the tour has afforded by the tour operator.

[F. No. B 43/10/97-TRU]

ATUL GUPTA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1997

सं. 40/97-सेवा कर

सा. का. नि. 482(अ):—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में है, किसी भी टूर प्रचालक द्वारा प्रदान की गयी कराधेय सेवा पर लागू सेवा कर से उतनी छूट देती है, जो

कि किसी टूर प्रचालक द्वारा किसी टूर के संदर्भ में प्रदान की गयी सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति से ली गयी सकल रकम के 10 प्रतिशत पर लागू सेवा कर, से अधिक है, जब टूर प्रचालक किसी भी टूर के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति के केवल ठहरने की व्यवस्था या बुकिंग की सेवाओं का प्रबंध करता है और इस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया बिल इस बात का प्रतीक है कि बिल में केवल ठहरने की व्यवस्था के प्रभार का है ।

परन्तु यह छूट, टूर प्रचालक द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवा पर लागू नहीं होगी अगर ग्राहक को प्रस्तुत किया गया बिल केवल ठहरने की व्यवस्था करने अथवा बुक करने की सेवाओं के लिए है और इसमें ठहरने की व्यवस्था की कीमत शामिल नहीं है ।

2. यह अधिसूचना दिनांक पहली सितम्बर, 1997 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. बी 43/10/97-टी. आर. यू.]

अतुल गुप्ता, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 1997

No. 40/97-SERVICE TAX

G. S. R. 482(E).—In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service provided by a tour operator from so much of the service tax leviable on such operator, as is in excess of the amount of service tax calculated on ten per cent. of the gross amount charged from any person by such operator for the services provided in relation to a tour, if the tour operator is providing services solely of arranging or booking accommodation for any person in relation to a tour and the bill issued for this purpose indicates that it is towards charges for such accommodation :

Provided that no exemption from the taxable service provided by the tour operator shall be available in case the bill issued to the client only includes the service charges for arranging or booking accommodation for any person in relation to a tour and does not include the cost of such accommodation.

2. This notification shall come into force on the 1st day of September, 1997.

[F. No. B 43/10/97-TRU]

ATUL GUPTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997